COURT FEE INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

521

निगरानी 1407-I-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१५ निगरानी

१- हरगोविन्द उर्फ गोविन्दा पु

२- हरे सिंह

पुत्रगण मंशाराम आदिवासी ।

निवासीगण ग्राम- गनेशपुर मूंडरा, तेहसील गुलाबगंज जिला विदिशा, मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

दिनांक 8-6-15 को श्री ... के ... द्वारा प्रस्तुत।

8-6-15

50

बिरुध्द

१- हरलाल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम- गनेशपुरा, मूंडरा, तेहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा ।

२- मध्यप्रदेश शासन ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

... 8/6/15

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय विदिशा दिनांक- १०-०५-१५ अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३३/१३-१४ अपील ।

श्रीमान जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि वह एक स्वयं बोलता हुआ आदेश नहीं है ।

क्रमशः--२

XXIX(a)-BR(H)-11

(521)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1407-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक क्र. 2 की ओर से श्री अनिल मंगल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	